प्रेस नोट, जनपद प्रतापगढ़, दिनांक 17.12.2020

दिनांक 27.11.2020 को बंधन बैंक शाखा के कर्मी से हुई लूट की घटना का सफल अनावरण, 04 अभियुक्त गिरफ्तार, लूट के 81000 रूपये, 04 अदद नाजायज देसी तमंचा, 04 कारतूस व अन्य सामान बरामद। (थाना पट्टी)

दिनांक 27.11.2020 को बंधन बैंक शाखा पट्टी के आरओ पद पर कार्यरत दुर्गेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा थाना पट्टी में यह सूचना दी गई कि वह कैस कलेक्शन करके कबीरपुर से गौहानी होते हुए वापस पट्टी लौट रहे थे कि गौहानी के पास मो0सा0 पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इनका बैग छीन लिया गया था जिसमें कलेक्शन के 82700 रूपये व सैमसंग कम्पनी का टैबलेट, पर्स, मोबाइल फोन व अन्य कागजात थे। वादी की इस सूचना पर थाना पट्टी में मु0अ0सं0 370/20 धारा 392 भादंवि का अभियोग मो0सा0 सवार दो अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा उक्त घटना के अनावरण/अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संबंधित को कड़े निर्देश दिये गये। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी व क्षेत्राधिकारी पट्टी के निकट पर्यवेक्षण में प्र0नि0 नरेन्द्र सिंह मय हमराह थाना पट्टी द्वारा कल दिनांक 16.12.2020 को मुखबिर खास की सूचना पर उक्त मुकदमें से संबंधित 04 अभियुक्तों को थानाक्षेत्र पट्टी के काशी प्रसाद बालिका इण्टर कालेज सदहा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 04 अदद नाजायज देसी तमंचा, 04 कारतूस, लूट के 81000 रूपये, 01 अदद मोबाइल फोन ओप्पो का, 01 अदद मार्फो, 05 पासबुक, बैंक संबंधी अन्य कागजात व घटना में प्रयुक्त 02 अदद मो0सा0 बरामद की गयी।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताय गया कि हम लोगों का लूट, चोरी व छिनैती करने का एक गिरोह है, जिसका गैंग लीडर सत्यम उपाध्याय है। दिनांक 27.112020 को हम 04 लोगों ने बंधन बैंक कर्मचारी का अमरगढ़ बाजार से पीछा किया था सौरभ व सुशील एक सुपर स्प्लेण्डर मो0सा0 से उसकी रैकी किये थे तथा सत्यम व अनुराग ने गौहानी सदहा मार्ग पर उक्त बैंककर्मी से तमंचा सटाकर उसका बैग छीन लिया था। उस लूट के कुछ पैसे हम लोगों द्वारा खर्च कर दिये गये हैं, शेष पैसे व बैग का सामान सत्यम के पास था जिसके बटवारे व एक व्यक्ति से लूट करने हेतु आज हम लोग असलहों के साथ इकट्ठा हुए थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

01. सत्यम उपाध्याय पुत्र संतोष उपाध्याय निवासी करोदहा थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़
02. अनुराग उपाध्याय उर्फ सैम्पल पुत्र रामानुज उपाध्याय निवासी करोदहा थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़
03. सुशील गुप्ता पुत्र सभाजीत गुप्ता निवासी अमरगढ़, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़
04. सौरभ गुप्ता पुत्र अमृत लाल गुप्ता निवासी अमरगढ़ थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

बरमादगी- 04 अदद नाजायज देसी तमंचा 315 बोर, 04 कारतूस 315 बोर, लूट के 81000 रूपये, 01 अदद मोबाइल फोन ओप्पो, 01 अदद मार्फो, 05 पासबुक, बैंक संबंधी अन्य कागजात व घटना में प्रयुक्त 02 अदद मो0सा0।

पंजीकृत अभियोग

01. मु0अ0सं0 404/20 धारा 401 भादंवि बनाम 04 अभियुक्त उपर्युक्त थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़
02. मु0अ0सं0 405/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सत्यम थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़
03. मु0अ0सं0 406/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अनुराग थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़
04. मु0अ0सं0 407/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सौरभ थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़
05. मु0अ0सं0 408/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सुशील थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम- प्र0नि0 नरेन्द्र सिंह मय हमराह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

88 शीशी मिश्रित ठेके की शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना कंधई)-

कल दिनांक 16.12.2020 को क्षेत्राधिकारी रानीगंज व थाना कंधई के उ0नि0 राजेश कुमार, उ0नि0 अनुज यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र कंधई के किशुनगंज बाजार में देसी शराब के ठेके में शराब की शीशीयों में पानी मिलाकर बेचने के लिए तैयार कर रहे 01 अभियुक्त रवीन्द्र सिंह पुत्र नारेन्द्र सिंह निवासी साल्हीपुर कंजास थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया व मौके से 88 शीशी ठेके की देसी शराब प्रति शीशी 220 मिली, 01 अदद नुकीली छूरी व 10 अदद खाली शीशी बरामद की गई।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त रवीन्द्र सिंह ने पूछताछ में बताया कि यह दुकान संगीता यादव निवासी अजीत नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ के नाम से है, जिसकी देखरेख श्याम प्रताप सिंह निवासी अजीत नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ व नीरज सिंह (सेल्स मैन) पुत्र शिव प्रसाद सिंह निवासी साल्हीपुर कंजास थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ करते हैं। हम लोग अधिक लाभ अर्जित करने के लिए शराब की भरी शीशीयों के ढक्कन को चाकू/छूरी से फैलाकर उसमें से कुछ शराब निकालकर उनमें पानी मिला देते हैं व शीशीयों से निकाली हुई थोड़ी-थोड़ी शराब से प्रतिदिन 40-50 शीशी नई तैयार कर लेते हैं फिर उन्हे बेच देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- रवीन्द्र सिंह पुत्र नारेन्द्र सिंह निवासी साल्हीपुर कंजास थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

प्रकाश में आये अभियुक्तों का विवरण

- संगीता यादव निवासी अजीत नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़
- श्याम प्रताप सिंह निवासी अजीत नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़
- नीरज सिंह (सेल्स मैन) पुत्र शिव प्रसाद सिंह निवासी साल्हीपुर कंजास थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 568/20 धारा 60/64ए आबकारी अधिनियम व धारा 419/420 भादंवि बनाम 04 अभियुक्त उपर्युक्त थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- क्षेत्राधिकारी रानीगंज, उ0नि0 राजेश कुमार, उ0नि0 अनुज यादव मय हमराह थाना कंधई

लूट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, लूट का 3500 रूपये व 01 मोबाइल फोन बरामद (थाना बाघराय)

जनपद के थाना बाघराय से उ0नि0 विनोद कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 482/20 धारा 394, 504, 506, 341 भादंवि में वांछित 02 अभियुक्त 01. राहुल सरोज पुत्र सोमवारी 02. वीरेन्द्र सरोज पुत्र नहरू सरोज निवासीगण उजेड़ी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र बाघराय के भाव चौराहा के पास गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 3500 रूपये व 01 अदद मोबइल फोन बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

- राहुल सरोज पुत्र सोमवारी निवासी उजेड़ी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़
- वीरेन्द्र सरोज पुत्र नहरू सरोज निवासी उजेड़ी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी- लूट के 3500 रूपये व 01 अदद मोबइल फोन

पुलिस टीम- उ0नि0 विनोद कुमार मय हमराह थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़